दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/969

दिनांक: 27.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अत्यावश्यक: यूएसटीआर की धारा 301 के तहत जांच पर उद्योग जगत से सुझाव आवश्यक (अंतिम तिथि: 8 अप्रैल 2026)

यह अमेरिकी अधिकारियों द्वारा शुरू की गई धारा 301 के तहत चल रही जांच के संदर्भ में है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 11 मार्च 2026 को, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन से संबंधित 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301(बी) के तहत विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के कृत्यों, नीतियों और प्रथाओं के संबंध में जांच शुरू करने की घोषणा की। जांच से यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या वे कृत्य, नीतियां और प्रथाएं अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं और अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं।

इन जांचों के दायरे में आने वाली अर्थव्यवस्थाएं चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मैक्सिको, जापान और **भारत हैं।**

1974 के व्यापार अधिनियम (व्यापार अधिनियम) की धारा 301, जैसा कि संशोधित किया गया है, अमेरिकी वाणिज्य को प्रभावित करने वाली अनुचित विदेशी प्रथाओं से निपटने के लिए बनाई गई है। धारा 301 का उपयोग अनुचित, तर्कहीन या भेदभावपूर्ण विदेशी सरकारी प्रथाओं का जवाब देने के लिए किया जा सकता है जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं।

व्यापार अधिनियम की धारा 302(ख) के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि धारा 301 के अंतर्गत स्वयं जांच शुरू कर सकता है। व्यापार अधिनियम की धारा 301(ख) के अंतर्गत की जाने वाली जांच में यह देखा जाता है कि क्या किसी विदेशी देश के कार्य, नीतियां या प्रथाएं अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं और अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं। अंतर-एजेंसी धारा 301 समिति की सलाह पर विचार करने और उपयुक्त सलाहकार समितियों से परामर्श करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने ये जांच शुरू की हैं।

कृपया यहां देखें : "USTR ने विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन से संबंधित धारा 301 के तहत जांच शुरू की है " https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320033831.pdf

और डॉकेट संख्या USTR-2026-0067 और USTR-2026-0068।
https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320033652.pdf डाउनलोड के लिए उपलब्ध है ।

इस संबंध में, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्लास्टिक उद्योग से सुझाव मांगे हैं।

हम सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने विचार और सुझाव अवश्य दें:

- भारत के वे कार्य, नीतियां और प्रथाएं जो विशिष्ट क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता या उत्पादन का सृजन या उसे बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं।
- क्या ऐसे कृत्य, नीतियां और प्रथाएं अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं?

- क्या ये कार्य, नीतियां और प्रथाएं अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं, और यदि हां, तो ऐसे बोझ या प्रतिबंध की प्रकृति और सीमा क्या है, जिसमें कोई भी आर्थिक मूल्यांकन शामिल है।
- क्या ये कार्य, नीतियां और प्रथाएं व्यापार अधिनियम की धारा 301(बी) के तहत कार्रवाई योग्य हैं, और यदि कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो उसमें टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय शामिल हैं।
- विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता या उत्पादन में योगदान देने वाले कार्यों, नीतियों और प्रथाओं का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई भी अतिरिक्त विचार।

आपके सुझावों से हमें मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया तैयार करने में बहुत सहायता मिलेगी।

कृपया अपने सुझाव (केवल निर्धारित प्रारूप में - डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320033922.docx) 8 **अप्रैल, 2026** तक **bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर भेजें।**

महत्वपूर्ण नोट: सदस्यों द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसे केवल भारत सरकार के वाणिज्य विभाग को ही प्रस्तुत किया जाएगा।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल